

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

::कार्यालय आदेश::

का0आ0-15/बि0स0से-18-02/2016 सा0प्र0...../, पटना-15, दिनांक.....

श्री उमेश झा, संविदा पर नियोजित सहायक, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के विरुद्ध राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के पत्रांक 519 दिनांक 13.03.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुशंसा के आलोक में इनका कार्य संतोषजनक नहीं रहने के कारण विभागीय संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07.2015 की कंडिका-3(2)(क)(vi) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री झा के संविदा के आधार पर सहायक के पद पर नियोजन को उनके योगदान की तिथि दिनांक 30.01.2018 के प्रभाव से रद्द किया जाता है।

2. उक्त पर प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-15/बि0स0से-18-02/2016 सा0प्र0...../, पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/संबंधित सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, पटना/अवर सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 519 दिनांक 13.03.2018 के प्रसंग में/श्री उमेश झा, संविदा पर नियोजित सहायक, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-22, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-15/बि0स0से-18-02/2016 सा0प्र0.....135...../, पटना-15, दिनांक.....5-4-18

प्रतिलिपि:- आई. टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।